

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 15, शक 1945

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2023

फा. क्र. 81—वि.निर्वा—चार—2023—174.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (43 सन् 1951) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए 230 विधान सभा क्षेत्रों के परिणामों की घोषणाएं जिनमें कि उन अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट हैं, जो सन् 2023 के साधारण निर्वाचनों में, उन घोषणाओं में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित हुए हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

अनुपम राजन, प्रमुख सचिव.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

01-श्यापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री बाबू जण्डेल, पता-ग्राम सोंठवा, तहसील श्यापुर, जिला श्यापुर जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : श्यापुर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

मनोज गरवाल
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

03-सबलगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती सरला विजेन्द्र रावत, पता-ग्राम मांगरौल, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : मुरैना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

वीरेन्द्र कटारे
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

02-विजयपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री रामनिवास रावत, पता-मकान नं. 5/k ग्राम सुनवई, तहसील विजयपुर, जिला श्यापुर जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : श्यापुर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

नीरज शर्मा
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

04-जौरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री पंकज उपाध्याय, पता-57, एम.एस. रोड जौरा, जिला मुरैना, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : मुरैना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

प्रदीप सिंह तोमर
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

05-सुमावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री ऐदल सिंह कंषाना, पता-ग्राम हरी सिंह का पुरा हुसैनपुर, नायकपुरा, तहसील व जिला मुरैना, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : मुरैना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

शुभम शर्मा
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

06-मुरैना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री दिनेश गुर्जर, पता-एम.आई.जी. 753, पुरानी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, मुरैना, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : मुरैना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

भूपेन्द्र सिंह कुशवाह
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

07-दिमनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पता-गली नं. 04, आर्य नगर, मुरार, ग्वालियर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : मुरैना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

मेघा तिवारी
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

08-अम्बाह (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार, पता-94, विधायक गली, अम्बाह, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : मुरैना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

अरविन्द सिंह माहौर
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

09-अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, पता-कटारे निवास, अग्रवाल कालौनी, अटेर रोड, भिण्ड, पोस्ट भिण्ड, जिला भिण्ड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : भिण्ड
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

पराग जैन
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

10-भिण्ड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नरेन्द्र सिंह कुशावाह, पता-143, सावित्री नगर, डायवर्सन रोड, भिण्ड जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : भिण्ड
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रवि मालवीय
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

11-लहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अम्बरीश शर्मा "गुड्डू", पता-ग्राम सिकरी जागीर, पोस्ट लालपुरा, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : भिण्ड
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

नवनीत कुमार शर्मा
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

12-मेहगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री राकेश शुक्ला, पता-वार्ड नं. 15, दशहरा रोड, परगना, मेहगाँव, जिला भिण्ड, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : भिण्ड
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

विकास कुमार सिंह
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

13-गोहद (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री केशव देसाई, पता-ग्राम हरीराम का पुरा पो. मालनपुर, तह. गोहद, जि. भिण्ड, इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : भिण्ड
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

अंकुर रवि गुप्ता
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

14-ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री साहब सिंह गुर्जर, पता-ओहदपुर, महलगांव, अल्कापुरी सिटी सेन्टर, ग्वालियर, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : ग्वालियर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

15-ग्वालियर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पता-2/199, न्यू कालोनी नं. 2, विरला नगर, ग्वालियर, भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : ग्वालियर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

अतुल सिंह
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

16-ग्वालियर पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

डॉ. सतीश सिकरवार, पता-44, ललितपुर कालोनी, लश्कर, ग्वालियर, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : ग्वालियर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

विनोद सिंह
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

17-ग्वालियर दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नारायण सिंह कुशवाह, पता-हारकोटा सीर, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर, भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : ग्वालियर नरेश चन्द्र गुप्ता
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

18-भितरवार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री मोहन सिंह राठौर, पता-जय सिंह स्कूल के पास, गाढ़वे की गोठ, गिर्द लश्कर, ग्वालियर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : ग्वालियर देवकी नन्दन सिंह
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

19-डबरा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सुरेश राजे, पता-93, बाथम वाली गली, वार्ड नं. 16, रामगढ़ डबरा, जिला ग्वालियर, इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : ग्वालियर मुनीष सिंह सिकरवार
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

20-सेवढ़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री प्रदीप अग्रवाल, पता-वार्ड नं. 8, भाण्डेर तिराहा, इन्दरगढ़, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : दतिया प्रतिज्ञा शर्मा
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

21-भाण्डेर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री फूलसिंह बरैया, पता-20, न्यू जीवाजी नगर, थाटीपुर, ग्वालियर, इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : दतिया **इकबाल मोहम्मद**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

22-दतिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री भारती राजेन्द्र, पता-मुड़ियन का कुंआ, दतिया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : दतिया **ऋषि कुमार सिंघई**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

23-करैरा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री खटीक रमेश प्रसाद, पता-ग्राम निजामपुर (मगरौनी), पोस्ट मगरौनी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : शिवपुरी **अजय कुमार शर्मा**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

24-पोहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री कैलाश कुशवाह, पता-कोठी नं. 11 के पीछे वार्ड नं. 37, शिवपुरी, जिला शिवपुरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : शिवपुरी **शिवदयाल धाकड़**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

25-शिवपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री देवेन्द्र कुमार जैन 'पत्ते वाले', पता-हाल निवासी, महल कालोनी, शिवपुरी, भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : शिवपुरी

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

अनूप श्रीवास्तव

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

26-पिछोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री प्रीतम लोधी, पता-18, जलालपुरा, ग्राम, जलालपुरा, तह. ग्वालियर, जिला ग्वालियर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : शिवपुरी

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

राजीव कुमार समाधिया

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

27-कोलारस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री महेन्द्र/रामसिंह यादव खतौरा, पता-ग्राम व पोस्ट खतौरा, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी, भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : कोलारस

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

मोतीलाल अहिरवार

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

28-बमौरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री ऋषि अग्रवाल, पता-13/239, 1 सदर बाजार, गुना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : गुना

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

शिवाजी पाण्डे

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

29-गुना (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री पन्ना लाल शाक्य, पता-नयापुरा, गुना, भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : गुना दिनेश सावले
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

30-चांचौड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती प्रियंका पैची, पता-79, महावीर मंदिर बाजार, पैची, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : गुना विकास कुमार आनंद
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

31-राधौगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री जयवर्द्धन सिंह, पता-25, किला राधौगढ़, वार्ड-6, जिला गुना, इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : गुना सुश्री आर. अंजली
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

32-अशोकनगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री हरिबाबू राय, पता-ग्राम बांसखेड़ी पो. नारायणपुर, तहसील व जिला अशोकनगर, हाल. नि. लेकसिटी कालोनी, अशोकनगर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : अशोकनगर अनिल बनवारिया
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

33-चन्देरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, पता-ग्राम अजलेश्वर, पोस्ट अजलेश्वर, तहसील नईसराय, जिला अशोकनगर, भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : अशोकनगर रचना शर्मा
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

34-मुंगावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, पता-ग्राम सूरेल पो. खिरकाटांका, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : अशोकनगर वरुण अवस्थी
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

35-बीना (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती एड. निर्मला सप्रे, पता-प्रताप वार्ड बीना, इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सागर देवेन्द्र प्रताप सिंह
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

36-खुरई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री भूपेन्द्र सिंह (भूपेन्द्र भैया), पता-म.नं. 77, अटल बिहारी बाजपेयी, वार्ड 30, खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सागर रवीश श्रीवास्तव
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

37-सुरखी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, पता-1, सीमा नगर, मधुकरशाह वार्ड, सागर, भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सागर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

अशोक कुमार सेन
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

38-देवरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री बृजबिहारी पटैरिया "गुड्डा भैया", पता-ग्राम बिजौरा, पो. रामपुर, तह देवरी, जिला सागर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सागर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

गगन बिसेन
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

39-रहली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री गोपाल भार्गव, पता-भगतसिंह वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर, भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सागर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

गोविंद कुमार दुबे
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

40-नरयावली (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

इंजी. प्रदीप लारिया, पता-रजाखेड़ी, पंचदेव मंदिर के पास, सागर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सागर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

विजय डेहरिया
रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

41-सागर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, पता-बालाजी मंदिर के सामने, 376-9ए, अम्बेडकर वार्ड, सागर, भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सागर

शैलेन्द्र सिंह

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

42-बंडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी, पता-वार्ड क्र. 14, मकान संख्या 181, पचमढी मंदिर के पास, बण्डा (बेलई), जिला सागर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सागर

संदीप सिंह

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

43-टीकमगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री यादवेन्द्र सिंह (जगू भैया), पता-वार्ड नं. 3, मकान नं. 106/4, तालदरवाजा, टीकमगढ़, इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : टीकमगढ़

संजय कुमार दुबे

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

44-जतारा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री खटीक हरिशंकर, पता-पुराना बाजार, पलेरा हाल, जतारा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : टीकमगढ़

लोकेन्द्र सिंह सरल

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

45-पृथ्वीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, पता-म.नं. 01, जेर भवन पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : निवाड़ी

सुधीर सिंह कुशवाह

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

46-निवाड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अनिल जैन, पता-ग्राम व पोस्ट विनवारा निवाड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : निवाड़ी

राकेश सिंह मरकाम

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

47-खरगापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, पता-ग्राम बम्हौरी अब्दा पो. टांनगा, तह. जतारा, जिला टीकमगढ़, इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : टीकमगढ़

विजय कुमार सेन

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

48-महाराजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री कामाख्या प्रताप सिंह (टीका राजा), पता-राजमहल, ग्राम पोस्ट थाना-अलीपुरा, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छतरपुर

विशा माधवानी

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

49-चंदला (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अहिरवार दिलीप, निवासी वार्ड नं. 06, टौरिया मोहल्ला, छतरपुर, जिला छतरपुर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छतरपुर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

देवेन्द्र चौधरी
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

50-राजनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अरविन्द पटैरिया, पता-वार्ड नं. 7, रनेहफाल रोड, राजनगर, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छतरपुर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

प्रखर सिंह
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

51-छतरपुर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती ललिता यादव, पता- अर्पित भवन, चेतगिरी, कॉलोनी वार्ड नं. 40, छतरपुर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छतरपुर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

बलवीर रमण
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

52-बिजावर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री बब्लू राजेश शुक्ला, पता-ग्राम बक्सोई, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छतरपुर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

विजय कुमार द्विवेदी
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

53-मलहरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

बहिन रामसिया भारती, ग्राम/पोस्ट बमनीघाट, तहसील बड़ामलहरा, जिला छतरपुर, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छतरपुर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

प्रशांत अग्रवाल
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

54-पथरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री लखन पटैल, पता-ग्राम मड़ला (खिरिया), पो. ऊमरी, तहसील दमोह, जिला दमोह, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : दमोह
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

निकेत चौरसिया
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

55-दमोह, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री जयंत मलैया, पता- 546 मागंज वार्ड-4, सरदार भगत सिंह वार्ड दमोह, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : दमोह
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

आर.एल. बरगरी
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

56-जबेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, पता-ग्राम नोहटा तहसील-जबेरा, जिला-दमोह जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : दमोह
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

अविनाश रावत
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

57-हटा (अ.जा.), विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती उमा देवी/लालचंद खटीक, पता- 31/1/जी जवाहर वार्ड हटा, तह.हटा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : दमोह
तारीख : 3 दिसम्बर 2023**रीता डहेरिया**
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

58-पवई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री प्रहलाद लोधी, पता-ग्राम रैयासांटा पोस्ट बनौली, तहसील रैपुरा, जिला पन्ना, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : पन्ना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023**भारती देवी मिश्रा**
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

59-गुनौर, (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री राजेश कुमार वर्मा, पता- शिवाजी वार्ड क्र-08 धाम मोहल्ला पन्ना जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : पन्ना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023**राहुल सिलाड़िया**
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

60-पन्ना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, पता-इटौरी हाउस, राजलक्ष्मी होटल के पास, पन्ना, जिला पन्ना जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : पन्ना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023**अशोक अवस्थी**
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

61-चित्रकूट, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, पता- 132 ठकुरान टोला, हरदुआ, पो.ऑ. तिघरा, तहसील बिरसिंहपुरा, जिला सतना, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सतना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

जितेन्द्र वर्मा
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

62-रैगांव (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती प्रतिमा बागरी, पता-ग्राम पोस्ट अमदरी तहसील-उचेहरा जिला सतना, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सतना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

एस.के. गुप्ता
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

63-सतना, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री डब्लू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, पता- "फूले सदन" गणेश नगर, वार्ड क्र.14 नईबस्ती, सतना तहसील रघुराजनगर, जिला सतना जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सतना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

नीरज खरे
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

64-नागौद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नागेन्द्र सिंह, पता- श्याम भवन, नागौद, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सतना
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

ए.पी.द्विवेदी
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

65-मैहर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, पता- गृह संख्या 16/3, स्वामी नीलकंठ वार्ड क्र.21 बल्लभ नगर, मैहर जिला सतना, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सतना

सुरेश जाटव

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

66-अमरपाटन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, पता-ग्राम जुड़मनिया पो. आ. इटमा कोठार, तहसील-अमरपाटन जिला-सतना, इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सतना

आरती यादव

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

67-रामपुर बघेलान, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री विक्रम सिंह (विककी), पता- वार्ड नं.6 गोविंद भवन कुर्मिहा टोला, सतना, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सतना

आर.एन.खारे

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

68-सिरमौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री दिव्यराज सिंह, पता-वार्ड क्र.37 किला उपरहटी, पो. आ. उपरहटी, तह. हुजूर, जिला रीवा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रीवा

भारती मरावी

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

69-सेमरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अभय मिश्रा, पता- ग्राम-तिघरा, पोस्ट-कचूर, तहसील-हुजूर, जिला रीवा, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रीवा **आर.के.सिन्हा**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

70-त्योथर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सिद्धार्थ तिवारी "राज", पता-वार्ड नं.-23,अमहिया रीवा, जिला रीवा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रीवा **पी.के.पाण्डेय**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

71-मऊगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री प्रदीप पटेल, पता- ग्राम-वार्ड क्रमांक 2, मऊगंज, जिला मऊगंज, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रीवा **राजेश कुमार मेहता**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

72-देवतालाब विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री गिरीश गौतम, पता-ग्राम करौंदी, पोस्ट डेहली, तहसील मनशवां, जिला रीवा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रीवा **बी.पी.पांडेय**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

73—मनगवाँ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री इन्जीनियर नरेन्द्र प्रजापति, पता— डगडौआ मऊगंज पन्नी, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रीवा **प्रभाशंकर त्रिपाठी**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

75—गुढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नागेन्द्र सिंह, पता— मकान नं. 620, वार्ड नं.6 धूपछांव—माधव विहार, जयंती कुंज के पीछे करही, तह. हुजूर, जिला रीवा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रीवा **संजय कुमार जैन**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

74—रीवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री राजेन्द्र शुक्ल, पता— अमहिया रीवा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रीवा **अनुराग तिवारी**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

76—चुरहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अजय अर्जुन सिंह, पता—225, साड़ा शिवराजपुर, तहसील चुरहट, जिला सीधी, जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सीधी **शैलेश द्विवेदी**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

77-सीधी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती रीती पाठक, पता- हाल मुकाम एफ-48, वन विभाग के सामने कोतवाली रोड, सीधी, जिला-सीधी, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सीधी **नीलेश कुमार शर्मा**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

78-सिहावल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री विश्वामित्र पाठक, पता-ग्राम-सुपेला, पोस्ट-जियावन, जिला-सिंगरौली, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सीधी **शिव प्रकाश मिश्रा**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

79-चितरंगी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती राधा रविन्द्र सिंह, पता- ग्राम चितरंगी, पोस्ट चितरंगी, तहसील एवं थाना चितरंगी, जिला सिंगरौली, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : चितरंगी **असवन राम चिरामन**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

80-सिंगरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री राम निवास शाह, पता-ग्राम पोस्ट कचनी, तहसील-सिंगरौली, जिला सिंगरौली, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सिंगरौली **राजेश कुमार शुक्ला**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

81-देवसर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री राजेन्द्र मेश्राम, पता- बी-19, एन.एस.सी.कालोनी जयन्त, तहसील-सिंगरौली, जिला सिंगरौली, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सिंगरौली **अखिलेश कुमार सिंह**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

82-धौहनी (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री कुंवर सिंह टेकाम, पता-ग्राम धुपखड़, पोस्ट-कमछ, थाना व तहसील-कुसमी, जिला-सीधी, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सीधी **रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

83-ब्यौहारी (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री शरद जुगलाल कोल, पता- ग्राम घिनौची, पोस्ट कुआं, थाना पपौंध, तहसील ब्यौहारी, जिला-शहडोल जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : शहडोल **नारेन्द्र सिंह धुर्वे**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

84-जयसिंहनगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती मनीषा सिंह, पता-ग्राम टिकुरी, पोस्ट टिकुरी, तहसील जैतपुर जिला शहडोल, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : शहडोल **प्रगति वर्मा**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

85-जैतपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री जयसिंह मरावी, पता- ग्राम सरईकापा पोस्ट धनपुरी जिला शहडोल, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : शहडोल
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

ज्योति परस्ते
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

86-कोतमा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री दिलीप जायसवाल, पता-ग्राम पोस्ट बिजुरी, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : अनूपपुर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

अजीत तिकी
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

87-अनूपपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री बिसाहू लाल सिंह, पता- ग्राम परासी पोस्ट लतार तहसील व जिला अनूपपुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : अनूपपुर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

दीपशिखा भगत
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

88-पुष्परजगढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, पता-ग्राम किरगी पोस्ट ऑफिस राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर, जो इण्डियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : अनूपपुर

दीपक पाण्डेय

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर,

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री शिवनारायण ज्ञान सिंह (लल्लू भैया), पता-ग्राम छांदाकला पोस्ट-नौरोजाबाद थाना नौरोजाबाद जिला उमरिया, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं.

स्थान : उमरिया

अमित सिंह बम्हरोलिया

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

90-मानपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती मीना सिंह, पता-ग्राम बेलसरा, पोस्ट रहठा, जिला उमरिया, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं.

स्थान : उमरिया (डबरौहा)

कमलेश पुरी

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

91-बड़वारा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह (धीरू), पता- 395, बड़वारा कला पो. तहसील बड़वारा, जिला कटनी, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : कटनी

विकी उड़के

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

92-विजयराघवगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, पता-ग्राम बरमानी, तहसील बरही जो, भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : कटनी

महेश मंडलोई

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

93-मुडवारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, पता- गुरुनानक वार्ड कटनी, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : कटनी

राकेश चौरसिया

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

94-बहोरीबंद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री प्रणय प्रभात पांडे (गुडडू भैया), पता-ग्राम सिमरापटी, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : कटनी

प्रदीप कुमार मिश्रा

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

95-पाटन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अजय विश्‍नोई, पता- 36, नया गांव जबलपुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : जबलपुर

मानवेन्द्र सिंह राजपूत

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

96-बरगी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नीरज सिंह लोधी, पता-मकान नं. 2337/144, सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड, शिव मंदिर के पास आस्था अपार्टमेंट राइट टाउन जबलपुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : जबलपुर

अभिषेक सिंह ठाकुर

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

97-जबलपुर पूर्व (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री लखन घनघोरिया, पता-मकान नं. 416, खटीक मोहल्ला, सराफा रोड, जवाहरगंज वार्ड, जबलपुर जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : जबलपुर **अनुराग सिंह**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

98-जबलपुर उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अभिलाष पाण्डेय, पता-मकान नं. 5, बेदी नगर, नागपुर रोड, सूपाताल, मदन महल वार्ड, जबलपुर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : जबलपुर **पुष्पेन्द्र अहके**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

99-जबलपुर केन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी, पता-म. नं. 7/5, एस. पी. बंगले के पीछे, साऊथ सिविल लाईन, जबलपुर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : जबलपुर **कुलदीप पाराशर**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

100-जबलपुर पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री राकेश सिंह, पता-578, नवयुग कॉलेज के पास, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : जबलपुर **पंकज मिश्रा**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

101-पनागर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सुशील कुमार तिवारी (इन्दु भैया), पता-263, पिक हाऊस, मिलोनीगंज, जबलपुर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : जबलपुर **पी. के. सेनगुप्ता**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

102-सिहोरा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री संतोष वरकड़े, पता-पड़रिया (गंगई) कुंडम रोड, जबलपुर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : जबलपुर **धीरेन्द्र सिंह**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

103-शहपुरा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री ओमप्रकाश धुर्वे, पता-ग्राम रुसा, पोस्ट रुसा, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : डिण्डौरी **निशा नापित**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

104-डिण्डौरी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री ओमकार सिंह मरकाम, पता-ग्राम बरनई, पो. रुसा, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : डिण्डौरी **रामबाबू देवांगन**
तारीख : 4 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

105-बिछिया (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नारायण सिंह पट्टा, पता-ग्राम खमतरा, पोस्ट घुघरी, तहसील घुघरी, जिला मण्डला, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : मण्डला
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

सर्जना यादव
रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

106-निवास (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री चैनसिंह वरकड़े, पता-वार्ड क्र. 12, खेरमाई नगर-निवास पो. तह. निवास, जिला मण्डला, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : मण्डला
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

मोहम्मद शाहिद खान
रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

107-मण्डला (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती सम्पतिया उइके, पता-वार्ड 11, पानी टंकी के पास, ग्राम टिकरवारा जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : मण्डला
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

ऋषभ कुमार जैन
रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

108-बैहर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री संजय उइके, पता-ग्राम भिमजोरी, पोस्ट बिरसा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बालाघाट
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

विवेक के. वी.
रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

109-लांजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री राजकुमार कर्राहे, पता-वार्ड क्रमांक 12, लांजी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बालाघाट **प्रदीप कुमार कौरव**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

110-परसवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री मधु भाऊ भगत, पता-ग्राम+पोस्ट चरेगांव, तह. व जिला बालाघाट, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बालाघाट **सुधाकर सिंह बघेल**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

111-बालाघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती अनुभा मुंजारे, पता-वार्ड नं. 19, सर्किट हाऊस रोड, बालाघाट जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बालाघाट **उमेश चन्द्र कौरव**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

112-वारासिवनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री विवेक विक्की पटेल, पता-वार्ड नं. 05, वारासिवनी, पोस्ट व तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बालाघाट **कामिनी ठाकुर**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

113-कटंगी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री गौरव सिंह पारधी, पता-अंसेरा, पोस्ट जराहमोहगाँव, बालाघाट जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बालाघाट
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

मधुवंतराव धुर्वे
रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

114-बरघाट (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री कमल मर्सकोले, पता-माहुलझिर, पोस्ट-भोमा, तहसील-सिवनी, जिला सिवनी जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सिवनी
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

नवजीवन विजय पवार
रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

115-सिवनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री दिनेश राय मुनमुन, पता-शास्त्री वार्ड क्र. 04, बबरिया रोड, सिवनी जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सिवनी
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

मेघा शर्मा
रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

116-केवलारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री रजनीश हरवंश सिंह, पता-मकान नं. 70, ग्राम बिछुआ बर्रा, पो. सादक सिवनी, तह. छपारा, जि. सिवनी, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सिवनी
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

संदीप श्रीवास्तव
रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

117-लखनादौन (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री योगेन्द्र सिंह बाबा, पता-मु. पोस्ट घूरवाडा, थाना धूमा, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सिवनी **हिमांशु जैन**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

118-गोटेगांव (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री महेन्द्र नागेश, पता-235, जागृति नगर, भगतसिंह वार्ड, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : नरसिंहपुर **दलीप कुमार**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

119-नरसिंहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री प्रहलाद सिंह पटैल, पता-F-23, सैनिक कॉलोनी, शहीद गुलाब सिंह वार्ड, जबलपुर वर्तमान में 193, शंकराचार्य वार्ड, जगदम्बा कॉलोनी, नरसिंहपुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : नरसिंहपुर **मणिन्द्र कुमार सिंह**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

120-तेंदूखेड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री विश्वनाथ सिंह "मुलाम भैया", पता-मुकाम रीछा, पोस्ट छीतापार, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : नरसिंहपुर **संघमित्रा गौतम**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

121-गाडरवारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री उदय प्रताप सिंह, पता-मु. पोस्ट लोलरी (राजमार्ग) तहसील तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : नरसिंहपुर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

कलावती ब्यारे
रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

122-जुन्नारदेव (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सुनील उइके पता-वार्ड नं. 02, चिखलमउ रोड, जुन्नारदेव, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छिन्दवाड़ा
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

नेहा सोनी
रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

123-अमरवाड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री कमलेश प्रताप शाह पता-मु. बसुरियाकला, पो. बसुरिया खुर्द, तहसील हरई, जिला छिन्दवाड़ा, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छिन्दवाड़ा
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

हेमकरण धुर्वे
रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

124-चौरई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री चौधरी सुजीत मेरसिंह पता-म. नं. 15, मुकाम थांवरी, पोस्ट कुण्डा, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छिन्दवाड़ा
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

प्रभात मिश्रा
रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21—ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

125—सौंसर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री विजय रेवनाथ चोरे पता—वसुंधरा लॉन, बेलगाँव नाका, सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छिन्दवाड़ा अनिता त्रिपाठी
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21—ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

126—छिन्दवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री कमलनाथ पता—म. नं. 1, ग्राम शिकारपुर, ब्लॉक मोहखेड़, तहसील मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छिन्दवाड़ा पार्थ जैसवाल
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21—ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

127—परासिया (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सोहनलाल वाल्मिक पता—वार्ड क्रमांक 19, चर्च के पास, परासिया, पोस्ट चांदामेटा, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छिन्दवाड़ा पुष्पेन्द्र निगम
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21—ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

128—पांडुर्ना (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री निलेश पुसाराम उईके पता—गृह क्र. 72, ग्राम रजोला रैयत, पोस्ट—मैनीखापा, तहसील—मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : छिन्दवाड़ा राजीव रंजन पाण्डेय
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

129-मुलताई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री चन्द्रशेखर देशमुख, पता-परसोडी पो. आष्टा, तह. मुलताई, जिला बैतूल, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बैतूल
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

तृप्ति पटैरया
रिटर्निंग ऑफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

130-आमला (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

डॉ. योगेश पंडाग्रे, पता-गुरुनानक वार्ड नं. 14, बोडखी, तह. आमला, जिला बैतूल, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बैतूल
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

शैलेन्द्र बडौनिया
रिटर्निंग ऑफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

131-बैतूल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री हेमन्त विजय खंडेलवाल, पता-मोती वार्ड, थाना रोड़, कोठी बाजार, बैतूल जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बैतूल
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

अभिषेक चौरसिया
रिटर्निंग ऑफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

132-घोडाडोंगरी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री गंगा सज्जन सिंह उइके, पता-ढोढरामोहार उर्फ भौरा, वन डिपो के बाजू में भौरा, त. शाहपुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बैतूल
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

राजीव कहार
रिटर्निंग ऑफिसर

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

133-भैसदेही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री महेन्द्र सिंह केशरसिंह चौहान, पता-ग्राम कुण्डबकाजन, तहसील भीमपुर, जिला बैतूल, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बैतूल महेश कुमार बमनाहा
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

134-टिमरनी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अभिजीत शाह (अंकित बाबा), पता-ग्राम खुदिया, पो. पीपल्या, तह. सिराली, जिला हरदा जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : हरदा महेश कुमार बडोले
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

135-हरदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

डॉ. रामकिशोर दोगने, पता-वार्ड नं. 31, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, हरदा, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : हरदा आशीष खरे
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

136-सिवनी-मालवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री प्रेमशंकर कुंजी लाल वर्मा, पता-ग्राम व पोस्ट बघवाडा, तह. डोलरिया, जिला नर्मदापुरम्, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : नर्मदापुरम् प्रमोद सिंह गुर्जर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

137—होशंगाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

डॉ. सीता सरन शर्मा, पता-01, विपिन जोशी मार्ग, वार्ड नंबर 29, इटारसी जिला नर्मदापुरम, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : नर्मदापुरम **आशीष कुमार पाण्डेय**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

138—सोहागपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री विजयपाल सिंह, पता-वार्ड नं. 11, जनकपुरी बजरिया, मोहल्ला होशंगाबाद (नर्मदापुरम), जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : नर्मदापुरम **बृजेन्द्र रावत**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

139—पिपरिया (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री ठाकुरदास नागवंशी, पता-वार्ड नं. 01, भगत सिंह वार्ड, बैनर्जी कॉलोनी, ब्राइट स्कूल के पीछे, तहसील पिपरिया, नर्मदापुरम, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : नर्मदापुरम **संतोष कुमार तिवारी**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

140—उदयपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, पता-नाहर कॉलोनी, बरेली, तह. बरेली, जिला रायसेन, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रायसेन **संतोष मुदगल**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

141-भोजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सुरेन्द्र पटवा, पता-34, गुलमर्ग कॉलोनी, इंदौर, तहसील इंदौर, जिला इंदौर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रायसेन

चन्द्रशेखर श्रीवास्तव

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

142-साँची (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

डॉ. प्रभुराम चौधरी, पता-342, मुखर्जी नगर, वार्ड क्रमांक 12, रायसेन, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रायसेन

अंजू पवन भदौरिया

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

143-सिलवानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री देवेन्द्र पटेल, पता-8/2, ग्राम खानपुर, पो. पलोहा, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रायसेन

सौरभ मिश्रा

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

144-विदिशा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री मुकेश टंडन, पता-वार्ड नं. 11, मुखर्जी नगर के पास, विदिशा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : विदिशा

क्षितिज शर्मा

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रिटर्निंग ऑफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

145-बासौदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री हरीसिंह रघुवंशी "बड्डा", पता-कालाबाग, बरेठ रोड, गंज बासौदा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : विदिशा

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

विजय राय

रिटर्निंग आफिसर..

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

146-कुरवाई (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री हरिसिंह सप्रे, पता-वार्ड नं. 09, गढ़ा मोहल्ला, कुरवाई, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : विदिशा

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

मनोज कुमार प्रजापति

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

147-सिरोंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री उमाकांत शर्मा, पता-म. नं. 24, वार्ड क्रमांक-19, गणेश की अथाई, सिरोंज, जिला विदिशा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : विदिशा

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

हर्षल चौधरी

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

148-शमशाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सूर्य प्रकाश मीणा, पता-दयानंदपुर, पो. आ. खामखेड़ा, तह. व जिला विदिशा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : विदिशा

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

अजय पटेल

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

149-बैरसिया (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री विष्णु खत्री, पता-एच.नं. 149-150, ओम-शिव नगर, लालघाटी, हुजूर, भोपाल, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : भोपाल **विनोद सोनकिया**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

150-भोपाल उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री आतिफ आरिफ अकील, पता-54, लक्ष्मी टाकीज रोड, भोपाल, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : भोपाल **आदित्य कुमार जैन**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

151-नरेला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री विश्वास सारंग, पता-सी-12, बी टाइप, 74 बंगले, भोपाल, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : भोपाल **रवीश श्रीवास्तव**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

152-भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री भगवानदास सबनानी, पता-109, पंचवटी कालोनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : भोपाल **अंशुल खरे**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

153-भोपाल मध्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री आरिफ़ मसूद, पता-म.नं. 16, नीम वाली सड़क, पुराना गल्ला बाजार, शाहजहाँनाबाद, भोपाल, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : भोपाल
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

अमन मिश्रा
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

154-गोविन्दपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती कृष्णा गौर, पता-बी-6, 74 बंगले, स्वामी दयानंद नगर, भोपाल, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : भोपाल
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

एल. के. खरे (लक्ष्मीकांत)
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

155-हुजूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री रामेश्वर शर्मा, पता-65, पत्रकार कालोनी, भोपाल, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : भोपाल
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

आशुतोष शर्मा
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

156-बुधनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री शिवराज सिंह चौहान, पता-ग्राम जैत, तहसील बुधनी, जिला सीहोर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सीहोर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

राधेश्याम बघेल
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

157—आष्टा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, पता—म.नं. 54, ग्राम मुल्लानी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सीहोर **आनन्द सिंह राजावत**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

158—इछावर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री करण सिंह वर्मा, पता—ग्राम जमोनिया हटेसिंह, पोस्ट भौंउखेडी, तहसील इछावर, जिला सीहोर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सीहोर **जमील खान**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

159—सीहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सुदेश राय, पता—राय विला, इन्दौर-भोपाल रोड, सीहोर, जिला सीहोर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : सीहोर **नितिन टाले**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

160—नरसिंहगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री मोहन शर्मा, पता—शिक्षक कॉलोनी, नरसिंहगढ़, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : राजगढ़ **अंशुमन राज**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21—ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

161—ब्यावरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नारायण सिंह पंवार, पता—वार्ड नं. 08, स्वरूप नगर, ब्यावरा, जिला राजगढ़, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : ब्यावरा **मोहनी शर्मा**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21—ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

162—राजगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अमर सिंह यादव, पता—कोलवाड़ मौहल्ला, खुजनेर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : राजगढ़ **गुलाब सिंह बघेल**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21—ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

163—खिलचीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री हजारीलाल दांगी, पता—काशीखेड़ी, पोस्ट काशीखेड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : राजगढ़ **अंकिता जैन**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21—ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

164—सारंगपुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री गौतम टेटवाल, पता—168, मोती मोहल्ला, सारंगपुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : राजगढ़ **संजय उपाध्याय**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

165—सुसनेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री भैरों सिंह "बापू", पता-29, ग्राम गरड़ा, सुसनेर, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : आगर-मालवा
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

मिलिन्द ढोके
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

166—आगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत), पता-उज्जैन रोड, पूर्वी भाग, आगर, जिला आगर-मालवा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : आगर-मालवा
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

सत्येन्द्र बैरवा
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

167—शाजापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अरुण भीमावद, पता-20, नीमवाड़ी, वार्ड 19, शाजापुर, जिला शाजापुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : शाजापुर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

नरेन्द्र नाथ पाण्डेय
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

168—शुजालपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री इन्दरसिंह परमार, पता-11, श्रीनगर, शुजालपुर मण्डी, जिला शाजापुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : शाजापुर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

महेन्द्र प्रताप सिंह किरार
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

169-कालापीपल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री घनश्याम चन्द्रवंशी, पता-गृह संख्या 200, खाती समाज बस्ती, भैसायागढ़ा, तहसील-कालापीपल, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : शाजापुर

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

सत्येन्द्र सिंह

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

170-सोनकच्छ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

डॉ. राजेश सोनकर, पता-21/6, मुराई मोहल्ला, छावनी, इन्दौर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : देवास

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

संदीप शिवा

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

171-देवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती गायत्री राजे पवार, पता-197, आनंद भवन पैलेस, ए.बी. रोड, देवास, जिला देवास, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : देवास

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

बिहारी सिंह

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

172-हाटपीपल्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री मनोज नारायणसिंह चौधरी, पता-61, ग्राम केलोद, तहसील व जिला देवास, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : देवास

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

प्रिया चंद्रावत

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

173-खातेगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री आशीष गोविन्द शर्मा, पता-54, महात्मा गांधी मार्ग, नगर पंचायत चौराहा, कन्नौद, जिला देवास, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : देवास
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

प्रवीण प्रजापति
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

174-बागली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री मुरली भँवरा, पता-वार्ड नं. 05, गांधी कॉलोनी, बागली, तहसील बागली, जिला देवास, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : देवास
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

आनन्द मालवीया
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

175-मांधाता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री नारायण पटेल, पता-वार्ड क्रमांक-1, पुनासा रोड, मूंदी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : खण्डवा
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

बजरंग बहादुर सिंह
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

176-हरसूद (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री कुँवर विजय शाह, पता-ग्राम जोगीबेड़ा, पोस्ट आशापुर, तहसील खालवा, जिला खण्डवा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : हरसूद
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

पुरुषोत्तम कुमार
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

177-खण्डवा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती कंचन मुकेश तनवे, पता-ई-1, इंदिरा सागर कॉलोनी, खण्डवा, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं.

स्थान : खण्डवा **अरविन्द कुमार चौहान**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

178-पंधाना (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती छाया मोरे, पता-वार्ड क्रमांक 05, ग्राम बमनाला, पोस्ट बमनाला, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं.

स्थान : खण्डवा **कुमार शानू देवरिया**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

179-नेपानगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती मंजु राजेन्द्र दादु, पता-मकान नम्बर 20, कानापुर, पोस्ट मांजरोदकला, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं.

स्थान : बुरहानपुर **अजमेर सिंह गौड**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

180-बुरहानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती अर्चना दीदी, पता-326, द्वारकापुरी, स्टेशन रोड, बुरहानपुर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं.

स्थान : बुरहानपुर **पल्लवी पुराणिक**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

181-भीकनगांव (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि:-

श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, पता-8, अन्नपूर्णा नगर, खरगोन, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं.

स्थान : खरगोन
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

बी. एस. कलेश
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

182-बड़वाह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सचिन बिरला, पता-387, ग्राम डुडगांव, पोस्ट बैड़िया, तहसील सनावद, जिला खरगोन, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : खरगोन
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

प्रदीप सोनी
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

183-महेश्वर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री राजकुमार मेव, पता-32, सुभाष मार्ग, मण्डलेश्वर, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : खरगोन
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

अनिल जैन
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

184-कसरावद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव, पता-बोरावा, पोस्ट बोरावा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : खरगोन
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

अग्रिम कुमार
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

185-खरगोन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि:-

श्री बालकृष्ण पाटीदार, पता-157, ग्राम टेमला, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : खरगोन **भास्कर गाचले**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

186-भगवानपुरा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री केदार चिड़ाभाई डावर, पता-ग्राम सांगवी, पोस्ट केली, तहसील सेगांव, जिला खरगोन, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : खरगोन **प्रताप कुमार अगास्या**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

187-सैंधवा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री मोन्दू सोलंकी, पता-374, ग्राम चाचरियापाटी, पोस्ट चाचरिया, तहसील सैंधवा, जिला बड़वानी, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बड़वानी **अभिषेक सराफ**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

188-राजपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री बाला बच्चन, पता-210, भिलाली कासेल, पोस्ट साली (भागसुर), तहसील राजपुर, जिला बड़वानी, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बड़वानी **जीतेन्द्र कुमार पटेल**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

189-पानसेमल (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि:-

श्री श्याम बरडे, पता-ग्राम रामपुरा, पोस्ट बंधारा बुजुर्ग, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बड़वानी **रमेश सिसोदिया**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

190-बड़वानी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री राजन मण्डलोई, पता-गृह संख्या 89, सुभाष मार्ग, ग.नं. 2, वार्ड क्रमांक 19, बड़वानी, जिला बड़वानी, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : बड़वानी **शक्ति सिंह चौहान**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

191-अलीराजपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री चौहान नागरसिंह, पता-285, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : अलीराजपुर **तपिस कुमार पाण्डे**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

192-जोबट (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सेना-महेश पटेल, पता-8, पटेल फलिया, बोरखड, अलीराजपुर, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : अलीराजपुर **विरेन्द्र सिंह**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

193-झाबुआ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

डॉ. दिक्कान्त भूरिया, पता-मकान कं. 155, गोपाल कालोनी झाबुआ, जिला झाबुआ जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : झाबुआ हरिशंकर विश्वकर्मा
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

194-थांदला (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री वीरसिंह भूरिया, पता-ग्राम खटामा, पोस्ट कचलदरा, तह. मेधनगर, जिला झाबुआ जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : झाबुआ तरुण जैन
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

195-पेदलावद (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती निर्मला दिलीपसिंह भूरिया, पता-शबरी हाउस, ग्राम व पोस्ट भाउलिया, तहसील रामा, जिला झाबुआ जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : झाबुआ अनिल कुमार शर्मा
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

196-सरदारपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री प्रताप ग्रेवाल, पता-वार्ड कं. 1-2 गोपाल काकाजी, सरदारपुर धार (म. प्र.) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : धार राहुल चौहान
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

197-गंधवानी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री उमंग सिंघार, पता-202 ब्लॉक कालोनी, बारिया, तह. गंधवानी जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : धार **विशाल धाकड़**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

199-मनावर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

डॉ. हिरालाल अलावा, पता-121, ग्राम अवास्यापुरा, भैसलाय, तहसील कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : धार **राहुल गुप्ता**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

198-कुक्षी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री बघेल सुरेन्द्र सिंह हनी, पता-108, पटेलपुरा, ग्राम तलावड़ी, तहसील कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : धार **आर. सी. खतेड़िया**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

200-धरमपुरी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री कालुसिंह ठाकुर, पता-वार्ड नं. 5 माण्डव, तह. पीथमपुर जिला धार मध्यप्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : धार **शाश्वत शर्मा**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

201-धार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, पता-एफ-2, ऑफिसर्स कॉलोनी, धार जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई है.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : धार **रोशनी पाटीदार**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

202-बदनावर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री भंवरसिंह शेखावत "बाबु जी", पता-10/10, मालवा मिल की पक्की वाल पाटनीपुरा इन्दौर जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : धार **दीपक चौहान**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

203-देपालपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल, पता-61, रिंग रोड, माताजी मंदिर के पास पिपल्या राव इन्दौर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए है.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : इन्दौर **रवि वर्मा**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

204-इन्दौर-1 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री कैलाश विजयवर्गीय, पता-131/9, (हारुसिंग बोर्ड नम्बर 880/9) नंदानगर, इन्दौर मध्यप्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : इन्दौर **ओमनारायण सिंह बड़कुल**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

205-इन्दौर-2 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री रमेश मेन्दोला, पता-44/7, नंदानगर, इंदौर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : इंदौर **अक्षयसिंह मरकाम**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

206-इंदौर-3 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री गोलू शुक्ला राकेश, पता-94, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : इंदौर **घनश्याम धनगर**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

207-इन्दौर-4 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़, पता-8/1, लोधीपुरा, इन्दौर (म. प्र.) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : इन्दौर **अजीत कुमार श्रीवास्तव**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

208-इन्दौर-5 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री महेंद्र हार्डिया, पता-6 गली नंबर 1, नवलखा मेन रोड, इन्दौर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : इन्दौर **कल्याणी पाण्डेय**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

209-डॉ. अम्बेडकर नगर-महू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

उषा बाबूसिंह ठाकुर, पता-115-सी, संगम नगर इन्दौर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : इन्दौर विनोद राठौर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

210-राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री मधु वर्मा, पता-गृह संख्या 25/1, अहिल्यापुरी कालोनी, इन्दौर (म. प्र.) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : इन्दौर राकेश परमार
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

211-सावेर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री तुलसीराम सिलावट, पता-80, अग्रवाल नगर नई भूमि इन्दौर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : इन्दौर गोपाल सिंह वर्मा
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

212-नागदा-खाचरौद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान, पता-13/45, गली नं. 1, चिकित्सालय मार्ग नागदा जं. जिला उज्जैन (म. प्र.) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : उज्जैन नेहा साहू
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

213-महिदपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री दिनेश जैन बौस, पता--186/2, महिदपुर मैन रोड़, महिदपुररोड़, ग्राम गोगापुर, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : उज्जैन
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

बी. के. सक्सेना
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

214-तराना (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री महेश परमार, पता--10, निर्माण नगर (रवीन्द्र नगर) उज्जैन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : उज्जैन
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

राजेश बोराशी
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

215-घट्टिया (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री सतीश मालवीय, पता-इन्दिरा कालोनी नवोदय रोड ग्राम घट्टिया, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन म. प्र. जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : उज्जैन
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रंजना पाटीदार
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

216-उज्जैन उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, पता-59, दशहरा मैदान क्षेत्र, उज्जैन, जिला उज्जैन म. प्र. जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : उज्जैन
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

एल. एन. गर्ग
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

217-उज्जैन दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

डॉ. मोहन यादव, पता-1/1, मुंज मार्ग, फ़ीगंज, उज्जैन, जो इंडियन भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : उज्जैन

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

आशीष पाठक

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

218-बड़नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री जितेन्द्र उदयसिंह पण्ड्या, पता-30, सेवा सदन बड़नगर जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : उज्जैन

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

शिवानी तरेटिया

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

219-रतलाम ग्रामीण (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री मथुरालाल डामर, पता-कुण्डाल, पोस्ट सरवड़, तहसील व जिला रतलाम (म. प्र.) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रतलाम

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

त्रिलोचन गौड

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

220-रतलाम शहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री चेतन्य कश्यप "भैयाजी", पता-विसाजी मेंशन, एम. जी. रोड, रतलाम जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रतलाम

तारीख : 3 दिसम्बर 2023

संजीव केशव पाण्डेय

रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

221-सैलाना (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री कमलेश्वर डोडियार, पता-निवासी ग्राम 34, राधाकुआ, पोस्ट सरवन, तहसील सैलाना, जिला रतिलाम जो भारत आदिवासी पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रतिलाम **मनीष कुमार जैन**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

222-जावरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री राजेन्द्र पाण्डेय "राजु भैया", पता-15, हास्पिटल रोड, जावरा, जिला रतिलाम (म. प्र.) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रतिलाम **अनिल भाना**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

223-आलोट (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

डॉ. चिन्तामणि मालवीय, पता-25, चिमनगंज, अंकपात मार्ग नं. 2, उज्जैन जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : रतिलाम **सुनील जायसवाल**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

224-मंदसौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री विपीन जैन, पता-स्टेशन रोड, सांवरिया लॉज के पास, दलोदा चौपाटी, तह. व जिला मंदसौर (म. प्र.) जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : मंदसौर **शिवलाल शाक्य**
तारीख : 3 दिसम्बर 2023 रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

225-मल्हारगढ़ (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री जगदीश देवड़ा, गृह संख्या 32, श्यामनगर, मंदसौर, जिला मंदसौर (म. प्र.) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : मंदसौर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

विवेक सोनकर
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

226-सुवासरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री डंग हरदीपसिंह, पता-म. नं. 1251, थाना रोड, सुवासरा, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म. प्र.) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : मंदसौर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

शिवानी गर्ग
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

227-गरोठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री चन्द्रसिंह सिसोदिया, पता-कोटडा खुर्द, पोस्ट खारखेडा, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर (म. प्र.) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : मंदसौर
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

रविन्द्र परमार
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

228-मनासा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री अनिरुद्ध (माधव) मारु, पता-वार्ड-9, उषागंज कालोनी, मनासा जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : नीमच
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

पवन बारिया
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

229-नीमच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री दिलीप सिंह परिहार, पता-16, सरदार मोहल्ला, नीमचसिटी, नीमच जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : नीमच
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

डॉ. ममता खेड़े
रिटर्निंग आफिसर.

प्ररूप 21-ग

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

230-जावद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री ओमप्रकाश सखलेचा, पता-श्री राम बलदेव घाटी, (सखलेचा घाटी) जावद, जिला नीमच (म. प्र.) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : नीमच
तारीख : 3 दिसम्बर 2023

राजकुमार हलदर
रिटर्निंग आफिसर.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 01-Sheopur Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Babu Jandel, Address-Village Sonthwa, Tehsil
 Sheopur, District Sheopur sponsored by Indian
 National Congress (Name of the recognised po-
 litical party) has been duly elected to fill the seat
 in that House from the above Constituency.

Place : Sheopur
 Date : 3rd December 2023

MANOJ GARWAL
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 02-Vijaypur Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Ramniwas Rawat, Address-H.N. 5/k, Village
 Sunwai, Tehsil Vijaypur, District Sheopur, Indian
 National Congress (Name of the recognised po-
 litical party) has been duly elected to fill the seat
 in that House from the above Constituency.

Place : Sheopur
 Date : 3rd December 2023

NEERAJ SHARMA
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 03-Sabalgarh Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Smt. Sarla Vijendra Rawat, Address-Mangrol,
 Tehsil Sabalgarh, Dist Morena, Bhartiya Janta
 Party (Name of the recognised political party)
 has been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Morena
 Date : 3rd December 2023

VIRENDRAKATARE
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 04-Joura Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Pankaj Upadhyay, Address-57, M.S. Road
 Joura, Distt. Morena, Indian National Congress
 (Name of the recognised political party) has been
 duly elected to fill the seat in that House from the
 above Constituency.

Place : Morena
 Date : 3rd December 2023

PRADEEP SINGH TOMAR
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 05-Sumawali Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Aidal Singh Kansana, Address-Village
 Harisingh ka pura, Husainpur, Nayakpura, Tehsil
 and District Morena, Bhartiya Janta Party (Name
 of the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Morena SHUBHAM SHARMA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 06-Morena Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Dinesh Gurjar, Address-m.i.g.753, Old Hous-
 ing Board Colony, Morena, Indian National Con-
 gress (Name of the recognised political party)
 has been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Morena BHUPENDRASINGH KUSHWAH
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 07-Dimani Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Narendra Singh Tomar, Address-Gali No. 04,
 Arya Nagar Morar, Gwalior, Bhartiya Janta Party
 (Name of the recognised political party) has been
 duly elected to fill the seat in that House from the
 above Constituency.

Place : Morena MEGHA TIWARI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 08-Ambah (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Devendra Ramnarayan Sakhwar, Address-
 94, Vidhayak gali, Ambah, Indian National
 Congress (Name of the recognised political party)
 has been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Morena ARVIND SINGH MAHOR
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 09-Ater Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Hemant Satyadev Katare, Address-Katara
 niwas, Agrawal Colony, Ater road, Bhind, Indian
 National Congress (Name of the recognised po-
 litical party) has been duly elected to fill the seat
 in that House from the above Constituency.

Place : Bhind PARAG JAIN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 10-Bhind Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Narendra Singh Kushwah, Address-1234,
 Savitri Nagar, Diversion road, Bhartiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has been
 duly elected to fill the seat in that House from the
 above Constituency.

Place : Bhind RAVI MALAVIYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 11-Lahar Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Ambrish Sharma "Guddu", Address-Villaga
 sikari Jagir, Post Lalpura, Tahsil Milhona, District
 Bhind, Bhartiya Janata Party (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above Con-
 stituency.

Place : Bhind NAVNEET KUMAR SHARMA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 12-Mehgaon Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Rakesh Shukla, Address-Ward No. 15,
 Dashhara Road Pargana, Mehgaon, District
 Bhind, Bhartiya Janata Party (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above Con-
 stituency.

Place : Bhind VIKAS KUMAR SINGH
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 13-Gohad (SC)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Keshav Desai, Address-Village Hariram ka Pura, Post Malanpur, Tehsil Gohad, District Bhind, Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Bhind ANKUR RAVI GUPTA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 14-Gwalior Rural
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Sahab Singh Gurjar, Address-Ohadpur, Mahalgaon, Alkapuri, Gwalior, Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Gwalior BRIJ BIHARI LAL SHRIVASTAVA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 15-Gwalior Assembly
Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Pradhuman Singh Tomar, Address-2/199, New Colony No. 2, Birla Nagar, Gwalior, Bhartiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Gwalior ATUL SINGH
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 16-Gwalior East
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Dr. Satish Sikarwar, Address-44, Lalitpur Colony, Tehsil Gwalior, District Gwalior, Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Gwalior VINOD SINGH
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 17-Gwalior South
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Narayan Singh Kushwah, Address-Harikota
 Seer, Taraganj, Lashkar, Gwalior, Bhartiya Janata
 Party (Name of the recognised political party)
 has been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Gwalior NARESH CHANDRA GUPTA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 18-Bhitarwar Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Mohan Singh Rathore, Address-Jai Hind
 School Ke Pass, Gaadve Ki Goth, Gird, Lashkar,
 Gwalior, Bhartiya Janata Party (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above Con-
 stituency.

Place : Gwalior DEOKI NANDAN SINGH
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 19-Dabra (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Suresh Raje, Address-93, Batham Wali Gali,
 Ward No. 16, Ramgarh, Dabra, Destrict Gwalior,
 Indian National Congress (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above Con-
 stituency.

Place : Gwalior MUNISH SINGH SIKARWAR
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 20-Sewda Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Pradeep Agrawal, Address-Ward No. 8,
 Bhandar Tiraha, Indergarh, Bhartiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has been
 duly elected to fill the seat in that House from the
 above Constituency.

Place : Datia PRATIGYA SHARMA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 21-Bhander (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Phool Singh Baraiya, Address-20, New Jiwaji Nagar, Thathipur, Gwalior, Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Datia IQBAAL MOHAMMAD
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 22-Datia Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Bharti Rajendra, Address-Mudiyani Ka Kuaa, Datia, Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Datia RISHI KUMAR SINGHAI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 23-Karera (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Khatik Ramesh Prasad, Address-Village Nijampur (Magroni), Post Magroni, Tehsil Narwar, Jila Shivpuri, Bhartiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Shivpuri AJAY KUMAR SHARMA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 24-Pohari Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Kailash Kushwah, Address-Kothi No. 11 Ke Peeche, Ward No. 37, Shivpuri District Shivpuri, Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Shivpuri SHIVDAYAL DHAKAD
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 25-Shivpuri Assembly
Constituency**In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-**Shri Devendra Kumar Jain 'Patte Wale'**,
Address- Presently Mahal Colony, Shivpuri,
Bhartiya Janata Party (Name of the recognised
political party) has been duly elected to fill the
seat in that House from the above Constituency.Place : Shivpuri ANOOP SHRIVASTAVA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 26-Pichhore Assembly
Constituency**In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-**Shri Preetam Lodhi**, Address-18, Jalalpura, Gram
Jalalpur Tah. Gwalior, Distt. Gwalior, Bhartiya Janta
Party (Name of the recognised political party)
has been duly elected to fill the seat in that House
from the above Constituency.Place : Shivpuri RAJIV KUMAR SAMADIYA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 27-Kolaras Assembly
Constituency**In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-**Shri Mahendra Ramsingh Yadav Khatora**,
Address- Gram Khatora, Post Khatora, Teh.
Badarwas, Distt. Shivpuri, Bhartiya Janata Party
(Name of the recognised political party) has been
duly elected to fill the seat in that House from the
above Constituency.Place : Kolaras MOTILAL AHIRWAR
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 28-Bamori Assembly
Constituency**In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-**Shri Rishi Agrawal**, Address-13/239, 1 Sadar Bazar,
Guna, Indian National Congress (Name of the
recognised political party) has been duly elected
to fill the seat in that House from the above Con-
stituency.Place : Guna SHIVANI PANDAY
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 29-Guna (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Panna Lal Shakya, Address- Naya Pura, Guna,
 Bhartiya Janata Party (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Guna DINESH SAWALE
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 30-Chachoura
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Smt. Priyanka Penchi, Address-79, Mahaveer
 Mandir Bazaar, Penchi, Bhartiya Janta Party (Name
 of the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Guna VIKAS KUMAR ANANAD
 Date : 4th December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 31-Raghogarh
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Jaivardhan Singh, Address-25 Kila Raghogarh,
 Ward 6, Distt. Guna, Indian National Congress
 (Name of the recognised political party) has been
 duly elected to fill the seat in that House from the
 above Constituency.

Place : Guna R. ANJALI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 32-Ashoknagar (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Haribaboo Rai, Address-Gram Bansakhedi,
 PO. Narayanpur, Tehsil V Jila Ashoknagar, M.P.
 Hal. Ni. Lakecity Colony, Ashok Nagar, Indian
 National Congress (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Ashok Nagar ANIL BANVARIYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 33-Chanderi Assembly
Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Jagannath Singh Raghuwanshi, Address-Gram Ajleshwar, Post Ajleshwar, Tehsil Naisaray, District Ashoknagar, Bhartiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Ashok Nagar RACHNA SHARMA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 34-Mungaoli Assembly
Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Brajendra Singh Yadav, Address-Gram Surel, Po. Khirkatanka, Tehsil Chanderi, Jila Ashoknagar, Bhartiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Ashok Nagar VARUN AWASTHI
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 35-Bina (SC) Assembly
Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Adv. Nirmla Sapre, Address-Pratap Ward Bina, Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Sagar DEVENDRA PRATAP SINGH
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 36-Khurai Assembly
Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Bhoopendra Singh, Address-H.NO. 77, Atal Bihari Vajpayee, Ward 30 Khurai, Tehsil Khurai, District Sagar, Bhartiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Sagar RAVISH SHRIVASTAVA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 37-Surkhi Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Govind Singh Rajput, Address-1, Seema
 Nagar, Madhukarshah Ward, Sagar, Bhartiya
 Janata Party (Name of the recognised political
 party) has been duly elected to fill the seat in that
 House from the above Constituency.

Place : Sagar ASHOK KUMAR SEN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 38-Deori Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Brijbihari Pateriya "Gudda Bhaiya", Ad-
 dress-Gram Bijoura, PO. Rampur, Tehsil Deori, Jila
 Sagar, Bhartiya Janata Party (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above Con-
 stituency.

Place : Sagar GAGAN BISEN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 39-Rehli Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Gopal Bhargava, Address-Bhagat Singh
 Ward, Garhakota, District Sagar, Bhartiya Janata
 Party (Name of the recognised political party)
 has been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Sagar GOVIND KUMAR DUBEY
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 40-Naryoli (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Er. Pradeep Lariya, Address-Rajakhedi, Near
 Panchdeo Mandir, Sagar, Bhartiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has been
 duly elected to fill the seat in that House from the
 above Constituency.

Place : Sagar VIJAY DEHARIYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 41-Sagar Assembly
Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Shalendra Kumar Jain, Address-Balaji Mandir Ke Samne 376 -9a, Ambedkar Ward, Sagar, Bhartiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Sagar SHAILENDRA SINGH
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 42-Banda Assembly
Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Veerendra Singh Lodhi, Address-Ward KR. 14, Makan Sankhya 181, Pachmani Mandir Ke Pass Banda (Belai), Jila Sagar, Bhartiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Sagar SANDEEP SINGH
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 43-Tikamgarh
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Yadvendra Singh (Jaggu Bhaiya), Address-Ward No.3, House No, 106/4, Taldarwaja, Tikamgarh, Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Tikamgarh SANJAY KUMAR DUBEY
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 44-Jatara (SC)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Khatik Harishankar, Address-Purana Bazar Palera Haal, Jatara, Bhartiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Tikamgarh LOKENDRA SINGH SARAL
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 45-Prithvipur
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Nitendra Brajendra Singh Rathore, Address-House No. 1, Jer Bhawan Prithivipur, District Niwari, Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Niwadi SUDHEER SINGH KUSHWAH
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 46-Niwari Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Anil Jain, Address-Gram Binbara Post Binbara, Bhartiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Niwari RAKESH SINGH MARKAM
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 47-Khargapur
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Chanda-Surendra Singh Gour, Address-Village Bamhori, Abda Post Tanga, Teh Jatara, Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Tikamgarh VIJAY KUMAR SEN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 48-Maharajpur
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Kamakhya Pratap Singh (Teeka Raja), Address-Raj Mahal, Gram Post, Thana Alipura, Teh. Nowgong, District Chhatarpur, Bhartiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Chhatarpur VISHA MADHWANI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 49-Chandla (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Ahirwar Dileep, Address-Ward No. 06 Toriya Mohalla, Chhatarpur, District Chhatarpur, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Chhatarpur DEVENDRA CHOUDHARY
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 50-Rajnagar Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Arvind Pateriya, Address-Ward No.7, Ranehfall Road Rajnagar, Teh.-Rajnagar, District Chhatarpur, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Chhatarpur PRAKHAR SINGH
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 51-Chhatarpur Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Lalita Yadav, Address-Arpit Bhawan Chetgiri Colony, Ward No. 40, Chhatarpur, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Chhatarpur BALVIR RAMAN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 52-Bijawar
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Bablu Rajesh Shukla, Address-Village Baxoi Post-Bijawar, District Chhatarpur (M.P.) sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Chhatarpur VIJAY KUMAR DWIVEDI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 53-Malhara
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Bahin Ramsiya Bharti, Address-Village/Post Bamnighat, Tehsil Badamalhara, District Chhatarpur, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Chhatarpur PRASHANT AGRAWAL
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 54-Pathariya
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Laxhan Patel, Address-Gram Madla (Khiriya), P.O. Umri, Tehsil damoh, Jila damoh,, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Damoh NIKET CHOURASIA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 55-Damoh
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Jayant Malaiya, Address-546, Maganj Ward-4, Sardar Bhagat Singh, Ward Damoh, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Damoh R. L. BARGRI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 56-Jabera
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Dharmendra Bhav Singh Lodhi, Address-Gram nohta, Tehsil jabera, Jila-Damoh, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Damoh AVINASH RAWAT
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 57-Hatta (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Umadevi Lalchand Khatik, Address-31/1/
 G, Jawahar, Ward Hatta, Tah. Hatta, sponsored by
 Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Damoh REETA DAHERIYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 59- Gunnaor (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Rajesh Kumar Verma, Address-Shiva Ji
 Ward No. 08, Dham Mohalla, Panna sponsored
 by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Panna RAHUL SILADIYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 58-Pawai Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Prahlad Lodhi, Address-Gram Raiyasanta,
 Post Banouli, Tehsil Raipura, Jila Panna, sponsored
 by Bharatiya Janata Party (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Panna BHARATI DEVI MISHRA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 60-Panna
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Brijendra Pratap Singh, Address-Etori
 House, Near Rajlaxmi Hotel, Panna, Disst. Panna,
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Panna ASHOK AWASTHI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 61-Chitrakoot
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Surendra Singh Gaharwar, Address-132, Thakuran Tola Hardua , Post Tighara Thasil Birsinghpur, Dist. Satna. sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Satna JEETENDRA VERMA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 62-Raigaon if (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Pratima Bagri, Address-Village Post-Amdari, Tahsil Unchehara, Distict Satna, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Satna S. K. GUPTA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 63-Satna
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Dabhu Siddharth Sukhlal Kushwaha, Address-'Phoole Sadan' Ganesh Nagar Ward Kr. 14, Nayee Basti Satna, Tehsil Raghurajnaqar, Jila-Satna, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Satna NIRAJ KHARE
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 64-Nagod
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Nagendra Singh, Address-Shyam Bhawan, Nagod, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Satna A. P. DWIVEDI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 65-Maihar
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Shrikant Chaturvedi, Address-Grih Sankhya,
 16/3, Swami Neelkanth, Ward Kr. 21 Ballabh
 Nagar, Maihar, Jila Satna, sponsored by Bharatiya
 Janata Party (Name of the recognised political
 party) has been duly elected to fill the seat in that
 House from the above Constituency.

Place : Satna SURESH JADAV
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 66-Amarpatan
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Dr. Rajendra Kumar Singh, Address-Village
 Judmania P.O. Itma Kothar, Tahsil Amarpatan
 District Satna, sponsored by Indian National
 Congress (Name of the recognised political
 party) has been duly elected to fill the seat in that
 House from the above Constituency.

Place : Satna AARTI YADAV
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 67- Rampur Baghelan
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Vikram Singh (Vicky), Address-Ward No. 06,
 Govind Bhavan Kurmihatola Rampurbaghelan,
 Distt. Satna, sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Satna R. N. KHARE
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 68-Sirmour
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Divyaraj Singh, Address-Ward No. 37 Kila
 Uparahati P.O. Uparahati, Teh. Huzur, Dist. Rewa,
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Rewa BHARTI MARAVI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 69-Semariya
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Abhay Mishra, Address-Vill-tighra, Post-kachur, Tahsil-Huzur, Distt.-Rewa, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Rewa RAJESH SINHA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 70-Teonthar
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Siddharth Tiwari 'Raj', Address-Ward Number-23, Amahiya Rewa, District Rewa, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Rewa P. K. PANDEY
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 71-Mauganj
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Pradeep Patel, Address-Ward-2, Mauganj, Jila-Mauganj, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Mauganj RAJESH KUMAR MEHTA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 72-Deotalab
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Girish Gautam, Address-Village Karaundi, Post Dealhi, Tehsil Mangawan, Distt. Rewa, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Rewa B. P. PANDEY
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
 (See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 73-Mangawan (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Engineer Narendra Prajapati, Address-
 Dagdaua Mauganj Panni, sponsored by Bharatiya
 Janata Party (Name of the recognised political
 party) has been duly elected to fill the seat in that
 House from the above Constituency.

Place : Rewa PRABHASHANKAR TRIPATHI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
 (See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 74-Rewa Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Rajendra Shukla, Address-354, Amahiya,
 Rewa, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name
 of the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Rewa ANURAG TIWARI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
 (See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 75-Gurh
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Nagendra Singh, Address-H.No. 620, Ward No.
 6, Dhupchhanv-Madhav Vihar, Jayanti Kunj ke
 Piche Karahi, Tehsil-huzur, Dist. Rewa, sponsored
 by Bharatiya Janata Party (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above Con-
 stituency.

Place : Rewa SANJAY KUMAR JAIN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
 (See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 76-Churhat
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Ajay Arjun Singh, Address-225, Sanda
 Shivrajpur, Tehseel Churhat, Dist. Sidhi, spon-
 sored by Indian National Congress (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above Con-
 stituency.

Place : Sidhi SHAILESH DWIVEDI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 77-Sidhi
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Riti Pathak, Address-Hal Mukam- f-48, Van Vibhag ke Samne, Kotwali Road Sidhi, District Sidhi, Sthai Pata-Gram & Gram Panchayat Patulkhi, Tah. Bahari, Distt. Sidhi, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Sidhi NILESH KUMAR SHARMA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 78-Sihawal
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Vishwamitra Pathak, Address-Village Supela, Post Jiyawan, District-Singrauli, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Sidhi SHEO PRAKASH MISHRA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 79-Chitrangi (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Radha Ravindra Singh, Address-Gram Chitrangi , Post Chitrangi, Teshil Chitrangi avm Thana Chitrangi, Jila Singrauli, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Chitrangi ASWAN RAMCHIRAMAN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 80-Singrauli
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Ram Niwas Shah, Address-Village+Po-Kachani, Tahsil+Dist.-Singrauli, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Singrauli RAJESH KUMAR SHUKLA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 81-Devsar (SC)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Rajendra Meshram, Address-B-19, N.S.C. Colony Jayant, Tehsil-Singrauli, Distt-Singrauli, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Singrauli A. K. SINGH
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 82-Dhauhani (ST)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Kunwar Singh Tekam, Address-Village-Dhupkhad, Post-Kamachh, Thana+Tehsil-Kusmi, Distt.-Sidhi, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Sidhi RAMESHWAR PRASAD TRIPATHI
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 83-Beohari (ST)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Sharad Juglal Kol, Address-Village Ghirauchi, Hirwar, Tehsil Beohari, Distt.-Shahdol, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Shahdol NARENDRA SINGH DHURVE
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 84-Jaisinghnagar (ST)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Manisha Singh, Address-Village Tikuri, P.O. Tikuri, Teshil Jaitpur, District Shahdol, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Shahdol PRAGATI VARMA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 85-Jaitpur (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Jaisingh Maravi, Address-Village Saraikapa,
 Post Dhanpuri, Tahsil Burhar, District Shahdol,
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Shahdol JYOTI PARASTE
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 86-Kotma
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Dilip Jaiswal, Address-Gram Post Bijuri,
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Anuppur AJIT TIRKEY
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 87-Anuppur (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Bisahu Lal Singh, Address-Gram Parasi, Post
 Latar, Tahsil and Jila Anuppur, sponsored by
 Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Anuppur DEEPSHIKHA BHAGAT
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 88-Pushprajgarh (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Phundelal Singh Marko, Address-Gram Kirgi,
 P.O. Rajendragram, District Anuppur, sponsored
 by Indian National Congress (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above Con-
 stituency.

Place : Anuppur DEEPAK PANDEY
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 89-Bandhavgarh (ST)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Shivnarayan Gyan Singh (Lallu Bhaiya),
Address-Gram Chhadakala, Post Nowrozabad,
Thana Nowrozabad, Distt. Umaria, sponsored by
Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
political party) has been duly elected to fill the
seat in that House from the above Constituency.

Place : Umaria AMIT SINGH BHAMHAROLIYA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 90-Manpur (ST)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Meena Singh, Address-Gram-Belsara, Post-
Rahtha, District-Umaria, sponsored by Bharatiya
Janata Party (Name of the recognised political
party) has been duly elected to fill the seat in that
House from the above Constituency.

Place : Umaria KAMLESH PURI
Date : 4th December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 91-Barwara (ST)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Dharendra Bahadur Singh Dhiru, Address-
395, Badwara Kala, Post Tahsil, Badwara, District
Katni, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name
of the recognised political party) has been duly
elected to fill the seat in that House from the above
Constituency.

Place : Katni VINKEY WOIKE
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 92-Vijayraghavgarh
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Sanjay Satyendra Pathak, Address-Gram
Barmani, Tehsil Barhi, sponsored by Bharatiya
Janata Party (Name of the recognised political
party) has been duly elected to fill the seat in that
House from the above Constituency.

Place : Katni MAHESH MANDLOI
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 93-Murwara
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Sandeep Shriprasad Jaiswal, Address-Gurunanak Ward, Katni, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Katni RAKESH CHAURASIA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 94-Bahoriband
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Pranay Prabhat Pandey (Guddu Bhaiya), Address-Gram Simrapati, Teh.-Bahoriband, Jila-Katni, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Katni PRADEEP KUMAR MISHRA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 95-Patan
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Ajay Vishnoi, Address-36, Nayagaon, Rampur, Jabalpur , sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Jabalpur MANVENDRA SINGH RAJPUT
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 96-Bargi
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Neeraj Singh Lodhi, Address-H.No. 2337/144, Subhadra Kumari Chouhan, Ward Near Shiv Temple, Aastha Apartment, Right Town, Jabalpur, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Jabalpur ABHISHEK SINGH THAKUR
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 97-Jabalpur Purba (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Lakhan Ghanghoria, Address-416, Khatik
 Muhalla, Sarafa Road, Jawahar Ganj Ward,
 Jabalpur, sponsored by Indian National Congress
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Jabalpur ANURAG SINGH
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 98-Jabalpur Uttar
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Abhilash Pandey, Address-H. No. 5, Bedi Nagar
 Nagpur Road supatal, Madan Mahal Ward,
 Jabalpur, sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Jabalpur PUSHPENDRA AHAKA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 99-Jabalpur Cantt.
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Ashok Ishwardas Rohani, Address-H. No.
 7/5, Behind S. P. Bunglow, South Civil Lines,
 Jabalpur, sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Jabalpur KULDEEP PARASHAR
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 100-Jabalpur Paschim
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Rakesh Singh, Address-578, Near Navyug
 College, South Civil Lines, Jabalpur, sponsored
 by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Jabalpur PANKAJ MISHRA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 101-Panagar Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Sushil Kumar Tiwari (Indu Bhaiya),
 Address-263, Pink House, Miloniganj, Jabalpur,
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Jabalpur P. K. SENGUPTA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 102-Sihora (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Santosh Varkade, Address-Village Padriya
 (Gangai) Kundam Road, Jabalpur, sponsored by
 Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Jabalpur DHIRENDRA SINGH
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 103-Shahpura (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Omprakash Dhurwey, Address-Gram Roosa,
 Post Roosa, Tehsil Bajag, District Dindori,
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Dindori NISHA NAPIT
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 104-Dindori (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Omkar Singh Markam, Address-Gram Barnai,
 Po. Roosa, Tehsil Bajag, Ni. Dindori, sponsored
 by Indian National Congress (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Dindori RAMBABU DEWANGAN
 Date : 4th December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 105-Bichhiya (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Narayan Singh Patta, Address-Gram Khamtara Post Ghughri, Tehsil Ghughri, District Mandala, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Mandla SARJANA YADAV
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 106-Niwas (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Chain Singh Warkade, Address-Ward No. 12, Khermai Nagar-Niwas Post Tehsil Niwas, District Mandla, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Mandla MOHAMMAD SHAHID KHAN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 107-Mandla (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Sampatiya Uikey, Address-Ward No. 11, Near Water Tank, Vill. Tikarwara, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Mandla RISHABH KUMAR JAIN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 108-Baihar (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Sanjay Uikey, Address-Gram Bhimjori, Post Birsa, Tehsil Birsa, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Balaghat VIVEK KV
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 109-Lanji Assembly
Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Rajkumar Karrahe, Address-Ward No. 12, Lanji Tahsil Lanji, Distt. Balaghat, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Balaghat PRADEEP KUMAR KAURAV
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 110-Paraswada
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Madhu Bhau Bhagat, Address-Village+Post Charegaon, Teh. & District Balaghat, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Balaghat SUDHAKAR SINGH BAGHEL
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 111-Balaghat Assembly
Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Anubha Munjare, Address-Ward No. 19, Circuit House Road, Balaghat, Tahsil and Jila Balaghat, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Balaghat UMESH CHANDRA KAURAV
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 112-Waraseoni
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Vivek Vicky Patel, Address-Ward No. 05, Waraseoni, Post and Teh. Waraseoni, Dist Balaghat, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Balaghat KAMNI THAKUR
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 113-Katangi Assembly
Constituency**In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-**Shri Gaurav Singh Pardhi**, Address-Ansera, Post
Jarahmohgaon, Balaghat, sponsored by Bharatiya
Janata Party (Name of the recognised political
party) has been duly elected to fill the seat in that
House from the above Constituency.Place : Balaghat MADHUWANTRAO DHURWE
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 114-Barghat (ST)
Assembly Constituency**In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-**Shri Kamal Marskole**, Address-Village-Mahuljhir,
Post-Bhoma, Tehsil-Seoni, Distt. Seoni, sponsored
by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
political party) has been duly elected to fill the
seat in that House from the above Constituency.Place : Seoni NAVJIVAN VIJAY PAWAR
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 115-Seoni Assembly
Constituency**In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-**Shri Dinesh Rai Munmun**, Address-Shashtri
Ward No. 4, Babariya Road, Seoni, sponsored
by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
political party) has been duly elected to fill the
seat in that House from the above Constituency.Place : Seoni MEGHA SHARMA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 116-Keolari Assembly
Constituency**In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-**Shri Rajneesh Harvansh Singh**, Address-House
No. 70, Village Bichhua Barra, Post-Sadak Seoni,
Tah. Chhapara, Distt. Seoni, sponsored by Indian
National Congress (Name of the recognised
political party) has been duly elected to fill the
seat in that House from the above Constituency.Place : Seoni SANDEEP SRIVASTAVA
Date : 4th December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 117- Lakhnadon (ST)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Yogendra Singh Baba, Address-Gram Goorwada, Thana Dhooma, Tehsil Lakhnadon, District Seoni, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Seoni HIMANSHU JAIN
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 118-Gotegaon (SC)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Mahendra Nagesh, Address-235, Jagrati Nagar, Bhagatsingh Ward, Gotegaon, Dist. Narsinghpur sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Narsinghpur DALIP KUMAR
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 119-Narsinghpur
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Prahlad Singh Patel, Address-F-23, Sainik Colony Shaheed Gulab Singh Ward, Jabalpur, At present 193, Shankaracharya Ward, Jagdamba Colony, Narsinghpur, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Narsinghpur MANINDRA KUMAR SINGH
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 120-Tendukheda
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Vishwanath Singh "Mulam Bhaiya", Address-Mukam richha, Post Chhitapar, Tehsil Gadarwara, Distt Narsinghpur sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Narsinghpur SANGHMITRA GAUTAM
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 121-Gadarwara
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Uday Pratap Singh, Address-Mukam Post Lolri (Rajmarga) Tehsil Tendukheda, Distt. Narsinghpur sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Narsinghpur KALAVATI BYARE
Date : 4th December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 122-Junnardeo (ST)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Sunil Uikey, Address-Ward No. 02, Chikhalmu Road, Junnardeo, Tehsil-Junnardeo, District Chhindwara, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Chhindwara NEHA SONI
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 123-Amarwara (ST)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Kamlesh Pratap Shah, Address-Basuriya Kala, Post-Basuriya Khurd, Tahsil Harrai, Distt. Chhindwara, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Chhindwara HEMKARAN DHURVEY
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 124-Chaurai Assembly
Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Choudhary Sujeet Mersingh, Address-House No. 15, Vilege Thawri, Post Kunda, Tahsil Chaurai, Distt. Chhindwara, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Chhindwara PRABHAT MISHRA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 125-Sausar Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Vijay Revanath Chore, Address-
 Vasundhara Lawn, Belgao-naka, Sausar Teh.
 Sausar, District-Chhindwara, sponsored by
 Indian National Congress (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Chhindwara ANKITA TRIPATHI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 126-Chhindwara
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Kamal Nath, Address-House No. 1, Village
 Shikarpur Block Mohkhed, Tehsil Mohkhed,
 Distt. Chhindwara, sponsored by Indian National
 Congress (Name of the recognised political
 party) has been duly elected to fill the seat in that
 House from the above Constituency.

Place : Chhindwara PARTH JAISWAL
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 127-Parasia (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Sohanlal Balmik, Address-Ward No. 19,
 Near Church Parasia, Post Chandameta,
 Tehsil Parasia, Distt. Chhindwara, sponsored
 by Indian National Congress (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Chhindwara PUSPENDRA NIGAM
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 128-Pandhurna (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Neelesh Pusharam Uikey, Address-House
 No. 72, Village Rajola Raiyat, Post-Mainikhapa,
 Tehsil-Mohkhed, Distt Chhindwara, sponsored
 by Indian National Congress (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Chhindwara RAJIV RANJAN PANDEY
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 129-Multai Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Chandrashekhar Deshmukh, Address-
 Gram Parsodi, Post Ashta, Tehsil Multai, Jila
 Betul sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Betul TRAPTI PATERIA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 130-Amla (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Dr. Yogesh Pandagre, Address-Gurunanak Ward
 No. 14, Bodkhi, Teh. Amla, Jila Betul, sponsored
 by Bharatiya Janata Party (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Betul SHAILENDRA BADONIYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 131-Betul Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Hemant Vijay Khandelwal, Address-Moti
 Ward, Thana Road, Kothi Bazar, Betul, sponsored
 by Bharatiya Janata Party (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Betul ABHISHEK CHAURASIYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 132-Ghoradongri (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Ganga Sajjan Singh Uikey, Address-
 Dhodramohar urf Bhoura, Van dipo ke baju mai,
 Bhoura T. Shahpur sponsored by Bharatiya
 Janata Party (Name of the recognised political
 party) has been duly elected to fill the seat in that
 House from the above Constituency.

Place : Betul RAJEEV KAHAR
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 133-Bhainsdehi (ST)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-

Shri Mahendra Singh Keshar Singh Chouhan,
Address-Gram Kundbakajan, Tehsil Bhimpur,
District Betul, sponsored by Bharatiya Janata
Party (Name of the recognised political party)
has been duly elected to fill the seat in that House
from the above Constituency.

Place : Betul MAHESH KUMAR BAMNAHA
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 134-Timarni (ST)
Katangi Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-

Shri Abhijeet Shah (Ankit Baba), Address-Gram
Khudia, Post-Piplaya, Tehsil Sirali, Dist. Harda,
sponsored by Indian National Congress (Name
of the recognised political party) has been duly
elected to fill the seat in that House from the above
Constituency.

Place : Harda MAHESH KUMAR BADOLE
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 135-Harda Assembly
Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-

Dr. Ramkishore Dogne, Address-Ward No. 31,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam, Harda, sponsored by
Indian National Congress (Name of the
recognised political party) has been duly elected
to fill the seat in that House from the above
Constituency.

Place : Harda ASHISH KHARE
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 136-Seoni-Malwa
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-

Shri Premshankar Kunjilal Verma, Address-
Gram and Post-Baghwad, Teh-Dolariya, Zila
Narmadapuram, sponsored by Bharatiya Janata
Party (Name of the recognised political party)
has been duly elected to fill the seat in that House
from the above Constituency.

Place : Narmadapuram PRAMOD SINGH GURJAR
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 137-Hoshangabad
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Dr. Sita Saran Sharma, Address-1, Vipin Joshi Marg Ward No. 29, Itarsi, District Hoshangabad, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Narmadapuram ASHISH KUMAR PANDEY
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 138-Sohagpur
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Vijaypal Singh, Address-Ward No. 11, Janakpuri Bajariya Mohalla, Hoshangabad, Narmadapuram sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Narmadapuram BRIJENDRA RAWAT
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 139-Pipariya (SC)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Thakurdas Nagwanshi, Address-Ward No. 01, Bhagat Singh Ward, Benargi Colony, Bright School ke Piche, Teh. Pipariya, Narmadapuram, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Narmadapuram SANTOSH KUMAR TIWARI
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 140-Udaipura
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Narendra Shivaji Patel, Address-Nahar Colony, Bareli Teh. Bareli, Dist. Raisen, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Raisen SANTOSH MUDGAL
Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 141-Bhojpur
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Surendra Patwa, Address-34, Gulmarg Colony, Indore Teh. Indore, Zila-Indore, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Raisen CHANDRASHEKHAR SHRIVASTAVA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 142-Sanchi (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Dr. Prabhuram Choudhary, Address-342, Mukharji Nagar, Ward No. 12, Raisen, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Raisen ANJU PAWAN BHADORIYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 143-Silwani Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Devendra Patel, Address-8/2, Gram Khanpur, Post Paloha, Tehsil Begumganj, Jila Raisen, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Raisen SAURABH MISHRA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 144-Vidisha Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Mukesh Tandan, Address-Ward No. 11, Near Mukharji Nagar, Vidisha, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Vidisha SHITIJ SHARMA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 145-Basoda
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Harisingh Raghuwanshi "Badda",
Address-Kalabagh, Bareth road, Ganj Basoda,
sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
the recognised political party) has been duly
elected to fill the seat in that House from the above
Constituency.

Place : Vidisha
Date : 3rd December 2023

VIJAY RAI
Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 146-Kurwai (SC)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Hari Singh Sapre, Address-Ward No. 09, Gada
Mohalla, Kurwai, sponsored by Bharatiya Janata
Party (Name of the recognised political party)
has been duly elected to fill the seat in that House
from the above Constituency.

Place : Vidisha
Date : 3rd December 2023

MANOJ KUMAR PRAJAPATI
Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 147-Sironj
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Umakant Sharma, Address-H.No. 24, Ward
Number 19, Ganesh Ki Athai, Sironj, District
Vidisha, sponsored by Bharatiya Janata Party
(Name of the recognised political party) has been
duly elected to fill the seat in that House from the
above Constituency.

Place : Vidisha
Date : 3rd December 2023

HARSHAL CHOUDHARY
Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 148-Shamshabad
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Surya Prakash Meena, Address-Village Daya
Nanadpur, Post Khamkheda, Teh. & Dist. Vidisha,
sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
the recognised political party) has been duly
elected to fill the seat in that House from the above
Constituency.

Place : Vidisha
Date : 3rd December 2023

AJAY PATEL
Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 149-Berasia (SC)
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Vishnu Khatri, Address-H.No. 149-150, Om Shiv Nagar, Lalghati, Huzur, Bhopal, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Bhopal
Date : 3rd December 2023

VINOD SONAKIYA
Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 150-Bhopal Uttar
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Atif Arif Aqueel, Address-54, Lakshmi Talkies road, Bhopal, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Bhopal
Date : 3rd December 2023

ADITYA KUMAR JAIN
Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 151-Narela
Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Vishvas Sarang, Address-S-12, B-Type 74 Bungalow, Bhopal, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Bhopal
Date : 3rd December 2023

RAVEESH SHRIVASTAVA
Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 152-Bhopal
Dakshin-Paschim Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Bhagwandas Sabnani, Address-109, Panchwati Colony, Airport road, Bhopal, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Bhopal
Date : 3rd December 2023

ANSHUL KHARE
Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 153-Bhopal Madhya
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Arif Masood, Address-H.No. 16, Neem wali sadak, Purana Galla Bazar, Shahjahanabad, Bhopal, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Bhopal AMAN MISHRA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 154-Govindpura
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Krishna Gaur, Address-B-6, 74 Banglow, Swami Dayanand Nagar, Bhopal, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Bhopal LAXMIKANT KHARE
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 155-Huzur
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Rameshwar Sharma, Address-65, Patrakar Colony, Bhopal, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Bhopal ASHUTOSH SHARMA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 156-Budhni
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Shivraj Singh Chouhan, Address-Gram Jait, Tehsil Budhni, Jila Sehore, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Sehore R. S. BAGHEL
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 157-Ashta (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Gopal Singh Engineer, Address-House No. 54, Village Mullani, Tehsil Ashta, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Sehore ANAND SINGH RAJAWAT
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 158-Ichhawar
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Karan Singh Verma, Address-Village Jamoniya Hatesingh, Post Bhaukhedi, Tehsil Ichhawar, Dist. Sehore, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Sehore JAMEEL KHAN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 159-Sehore
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Sudesh Rai, Address-Rai Villa, Inore-Bhopal road, Sehore, District Sehore, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Sehore NITIN TALE
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 160-Narsinghgarh
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Mohan Sharma, Address-Sikshak Colony, Narsinghgarh, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Rajgarh ANSHUMAN RAJ
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 161-Biaora
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Narayan Singh Panwar, Address-Ward No.
 08, Swaroop Nagar, Biaora, Dist. Rajgarh,
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Rajgarh MOHINI SHARMA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 162-Rajgarh
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Amar Singh Yadav, Address-Kolwad Mohalla,
 Khujner, sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has been
 duly elected to fill the seat in that House from the
 above Constituency.

Place : Rajgarh GULAB SINGH BAGHEL
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 163-Khilchipur
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Hajarilal Dangi, Address-Niwasi Kashikhedi,
 Post Kashikhedi, sponsored by Bharatiya Janata
 Party (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Rajgarh ANKITA JAIN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 164-Sarangpur (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Gotam Tetwal, Address-168, Moti Mohalla,
 Sarangpur, District Rajgarh, sponsored by
 Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Rajgarh SANJAY UPADHYAY
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
 (See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 165-Susner
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Bhairon Singh "Bapu", Address-29, Garda,
 Susner, sponsored by Indian National Congress
 (Name of the recognised political party) has been
 duly elected to fill the seat in that House from the
 above Constituency.

Place : Agar-Malwa
 Date : 3rd December 2023

MILIND DHOKE
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
 (See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 166-Agar (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Madhav Singh (Madhu Gehlot), Address-
 Ujjain road, Purvi Bhag, Agar, Dist. Agar Malwa,
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Agar-Malwa
 Date : 3rd December 2023

SATYENDRA BAIRWA
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
 (See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 167-Shajapur
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Arun Bhimawad, Address-20, Neemwadi, Ward
 No. 19, Shajapur, sponsored by Bharatiya Janata
 Party (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Shajapur
 Date : 3rd December 2023

NARENDRA NATH PANDEY
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
 (See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 168-Shujalpur
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Inder Singh Parmar, Address-11, Shrinagar,
 Shujalpur Mandi, Distt. Shajapur, sponsored by
 Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Shajapur
 Date : 3rd December 2023

MAHENDRA PRATAP SINGH KIRAR
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 169-Kalapipal
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Ghanshyam Chandravanshi, Address-House
 No. 200, Khati Samaj Basti, Bhaisayagada, Tehsil
 Kalapipal, sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has been
 duly elected to fill the seat in that House from the
 above Constituency.

Place : Shajapur SATYENDRA SINGH
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 170-Sonkatch (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Dr. Rajesh Sonkar, Address-21/6, Murai Mohalla,
 Chhawani, Indore, sponsored by Bharatiya Janata
 Party (Name of the recognised political party)
 has been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Dewas SANDEEP SHIVA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 171-Dewas
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Smt. Gayatri Raje Puar, Address-179, Anand
 Bhavan Palace, AB road, Dewas, sponsored by
 Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Dewas BIHARI SINGH
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 172-Hatpipliya
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Manoj Narayansingh Choudhari, Address-
 61, Garm Kelod, Tehsil and District Dewas,
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Dewas PRIYA CHANDRAWAT
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 173-Khategaon
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Aashish Govind Sharma, Address-54, Mahatma Gandhi Marg, Nagar Panchayat Chouraha, Kannod, Dist. Dewas, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Dewas PRAVEEN PRAJAPATI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 174-Bagali (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Murli Bhawara, Address-Ward No. 05, Gandhi Colony, Bagli, Tehsil Bagli, Dist. Dewas, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Dewas ANAND MALVIYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 175-Mandhata
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Narayan Patel, Address-Ward No. 1, Punasa road, Mundi, Tahsil Punasa, District Khandwa, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Khandwa BAJRANG BAHADUR SINGH
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 176-Harsud (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Kunwar Vijay Shah, Address-Gram Jogibeda, Post Ashapur, Tehsil Khalwa, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Harsud PURUSHOTTAM KUMAR
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 177-Khandwa (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Kanchan Mukesh Tanve, Address-E-1, Indira Sagar Colony, Khandwa, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Khandwa ARVIND KUMAR CHOUHAN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 178-Pandhana (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Chaya More, Address-Ward No. 05, Village Bamnala, Tehsil Bhikangaon, District Khargon, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Khandwa KUMAR SHANU DEORIYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 179-Nepanagar (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Manju Rajendra Dadu, Address-House No. 20, Gram Kanapur, Post Manjrodkala, Tehsil Khaknar, District Burhanpur, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Burhanpur AJMER SINGH GOUD
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 180-Burhanpur
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Archana Didi, Address-326, Dwarkapuri station road, Burhanpur, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Burhanpur PALLAVI PURANIK
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 181-Bhikangaon (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Smt. Jhuma Dr. Dhyansingh Solanki, Address-8, Annapurna Nagar, Khargone, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Khargone
 Date : 3rd December 2023

B.S. KALESH
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 182-Badwaha
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Sachin Birla, Address-387, Gram Dudgaon, Post Bedia, Tehsil Sanawad, District Khargone, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Khargone
 Date : 3rd December 2023

PRADEEP SONI
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 183-Maheshwar (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Rajkumar Mev, Address-32, Subhash Marg, Mandleshwar, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Khargone
 Date : 3rd December 2023

ANIL JAIN
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 184-Kasarwad
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Sachin Subhashchandra Yadav, Address-Gram Borawana, Teh. Kasarwad, Distt. Khargone, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Khargone
 Date : 3rd December 2023

AGRIM KUMAR
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 185-Khargone
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Balkrishn Patidar, Address-157, Gram Temla,
 Tehsil Khargone, District Khargone, sponsored
 by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Khargone BHASKAR GACHLE
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 186-Bhagwanpura (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Kedar Chidabhai Dawar, Address-Sangawi
 Post Keli, Teh. Segaoon, Distt. Khargone,
 sponsored by Indian National Congress (Name
 of the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Khargone PRATAP KUMAR AGASHYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 187-Sendhawa (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Montu Solanki, Address-374, Village
 Chachriyapati, Post Chachriya, Tehsil Sendhwa,
 District Barwani, sponsored by Indian National
 Congress (Name of the recognised political party)
 has been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Barwani ABHISHEK SARAF
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 188-Rajpur (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Bala Bachchan, Address-210, Bhilali Kasel,
 Post Sali (Bhagsur), Tehsil Rajpur, Distt. Barwani,
 sponsored by Indian National Congress (Name
 of the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Barwani JEETENDRA KUMAR PATEL
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 189-Pansemal (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Shyam Barde, Address-Gram Rampura, Post Bandhara Bujurg, Teh. Pansemal, Jila Badwani, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Badwani RAMESH SISODIYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 190-Badwani (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Rajan Mandloi, Address-House No. 89, Subhash Marg, Gali No. 2, Ward No. 19, Barwani, District Badwani, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Badwani SHAKTI SINGH CHOUHAN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 191-Alirajpur (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Chouhan Nagar Singh, Address-285, Chandra Shekhar Azad Marg, Alirajpur, sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Alirajpur TAPIS KUMAR PANDEY
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 192-Jobat (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Sena-Mahesh Patel, Address-8, Patel Faliya, Borkhad, Alirajpur, sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Alirajpur VIRENDRA SINGH
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 193-Jhabua (ST)
Assembly Constituency**In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-**Dr. Vikrant Bhuria**, Address-House No. 155, Gopal
Colony, Jhabua, District Jhabua, sponsored by
Indian National Congress (Name of the
recognised political party) has been duly elected
to fill the seat in that House from the above
Constituency.

Place : Jhabua

H. S. VISHWAKARAMA

Date : 3rd December 2023

Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 194-Thandla (ST)
Assembly Constituency**In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-**Shri Veersingh Bhuriya**, Address-Gram Khatama,
Post Kachaldara, Tehsil Meghnagar, Dist. Jhabua
sponsored by Indian National Congress (Name
of the recognised political party) has been duly
elected to fill the seat in that House from the above
Constituency.

Place : Jhabua

TARUN JAIN

Date : 3rd December 2023

Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 195-Petlawad (ST)
Assembly Constituency**In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-**Smt. Nirmala Dileepsingh Bhuria**, Address-
Shabri House, Gram and Post Machhaliya Tehsil
Rama, Jila Jhabua sponsored by Bharatiya Janata
Party (Name of the recognised political party)
has been duly elected to fill the seat in that House
from the above Constituency.

Place : Jhabua

ANIL KUMAR RATHORE

Date : 3rd December 2023

Returning officer.

FORM 21-C

Conduct of Election Rule, 1961*(See Rule 64)*

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election to the Legislative Assembly of
Madhya Pradesh From 196-Sardarpur (ST)
Assembly Constituency**In pursuance of the provisions contained in Section 66
of the Representation of the People Act, 1951, read with
Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
that :-**Shri Pratap Grewal**, Address-Ward No. 1. 2. Gopal
Colony, Sardarpur, Dahar sponsored by Indian
National Congress (Name of the recognised
political party) has been duly elected to fill the
seat in that House from the above Constituency.

Place : Dhar

RAHUL CHOUHAN

Date : 3rd December 2023

Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 197-Gandhwani (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Umang Singhar, Address-202, Block Colony,
 Bariya, Teh. Gandhwani sponsored by Indian
 National Congress (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Dhar
 Date : 3rd December 2023

VISHAL DHAKAD
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 198-Kukshi (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Baghel Surendra Singh Honey, Address-
 108, Patelpura, Village Talawadi, Tehsil Kukshi,
 Dist. Dhar sponsored by Indian National
 Congress (Name of the recognised political party)
 has been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Dhar
 Date : 3rd December 2023

R. C. KHATEDIYA
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 199-Manawar (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Dr. Hiralal Alawa, Address-121, Gram Avasyapura
 Bhaisalay, Tehsil Kukshi, District Dhar sponsored
 by Indian National Congress (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Dhar
 Date : 3rd December 2023

RAHUL GUPTA
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 200-Dharamपुरी (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Kalusingh Thakur, Address-Ward No.5
 Mandav, Teh. Pithampur, Distt. Dhar sponsored
 by Bharatiya Janata Party (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Dhar
 Date : 3rd December 2023

SHASHWAT SHARMA
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 201-Dhar Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Smt. Neena Vikram Verma, Address-F-2, Officers
 Colony Dhar sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Dhar ROSHANI PATIDAR
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 202-Badnawar
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Bhanwarsingh Shekhawat "Babu Ji",
 Address-10/10, Malwa Mil, Pakki Chal Patnipura,
 Indore sponsored by Indian National Congress
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Dhar DEEPAK CHOUHAN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 203-Depalpur
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Manoj Nirbhay Singh Patel, Address-61,
 Ring Road, Mataji Mandir Ke Pas Piplya Rao,
 Indore sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Indore RAVI VARMA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 204-Indore-1
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Kailash Vijayvargiya, Address-131/9
 (Housing Board No. 880/9) Nanda Nagar, Indore
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Indore OM NARAYAN SINGH BADKUL
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 205-Indore-2
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Ramesh Mendola, Address-C-69, Sukhliya,
 Indore sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Indore AKSHAY SINGH MARKAM
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 206-Indore-3
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Golu Shukla Rakesh, Address-94, Banganga
 Main Road, Indore sponsored by Bharatiya
 Janata Party (Name of the recognised political
 party) has been duly elected to fill the seat in that
 House from the above Constituency.

Place : Indore GHANSHYAM DHANGAR
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 207-Indore-4
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951 , read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Smt. Malini Laxman Singh Gaur, Address-8/1,
 Lodhipura, Indore sponsored by Bharatiya
 Janata Party (Name of the recognised political
 party) has been duly elected to fill the seat in that
 House from the above Constituency.

Place : Indore AJIT KUMAR SHRIVASTAVA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 208-Indore-5
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Mahendra Hardia, Address-6, Gali No. 1,
 Navalakha, Main Road, Indore sponsored by
 Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Indore KALYANI PANDEY
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 209-Dr. Ambedkar
 Nagar-Mhow Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Usha Babu Singh Thakur, Address-115-C, Sangam
 Nagar, Indore sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Indore
 Date : 3rd December 2023

VINOD RATHORE
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 210-Rau Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Madhu Verma, Address-House No. 25/1,
 Ahilyapuri Colony, Indore sponsored by
 Bharatiya Janata Party (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Indore
 Date : 3rd December 2023

RAKESH PARMAR
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 211-Sanwer (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Tulsiram Silawat, Address-80, Agrawal Nagar,
 Nai Bhumi, Indore sponsored by Bharatiya Janata
 Party (Name of the recognised political party)
 has been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Indore
 Date : 3rd December 2023

GOPAL SINGH VERMA
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 212-Nagda-Khachrod
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Dr. Tejbahadur Singh Chauhan, Address-13/45,
 Gali No. 1, Chikatsalay Marg Nagda Ja. Jila Ujjain
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Ujjain
 Date : 3rd December 2023

NEHA SAHU
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 213-Mahidpur
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Dinesh Jain Boss, Address-186/2, Mahidpur,
 Main Road , Mahidpur Road , Gram Gogapur,
 Tehsil Mahidpur, Jila Ujjain sponsored by Indian
 National Congress (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Ujjain BRAJESH SAXENA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 214-Tarana (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Mahesh Parmar, Address-10, Nirman Nagar,
 (Ravindra Nagar), Ujjain sponsored by Indian
 National Congress (Name of the recognised
 political party) has been duly elected to fill the
 seat in that House from the above Constituency.

Place : Ujjain RAJESH BORASI
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 215-Ghattiya (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951 , read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Satish Malviya, Address-Indira Colony,
 Navoday Road, Gram Ghatiya, Tehsil Ghattiya
 District Ujjain sponsored by Bharatiya Janata
 Party (Name of the recognised political party)
 has been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Ujjain RANJNA PATIDAR
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 216-Ujjain North
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Anil Jain Kaluheda, Address- 59, Dashera
 Maidan Kshetra, Ujjain, District Ujjain
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Ujjain L. N. GARG
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 217-Ujjain Dakshin
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Dr. Mohan Yadav, Address-1/1, Munj Marg,
 Freeganj, Ujjain sponsored by Bharatiya Janata
 Party (Name of the recognised political party)
 has been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Ujjain
 Date : 3rd December 2023

ASHISH PATHAK
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 218-Badnagar
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Jitendra Uday Singh Pandya, Address-30,
 Sewa Sadan, Shivaji Road, Badnagar, Ujjain
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the
 recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Ujjain
 Date : 3rd December 2023

SHIVANI TARETIYA
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 219-Ratlam Rural (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Mathura Lal Damar, Address-Gram Kundal,
 Post Sarwad, Tehsil and District Ratlam sponsored
 by Bharatiya Janata Party (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Ratlam
 Date : 3rd December 2023

TRILOCHAN GAUR
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)
 (For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 220-Ratlam City
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Chetanya Kashyap "Bhaiyyaji", Address-
 Visaji Mention, M. G. Road, Ratlam sponsored
 by Bharatiya Janata Party (Name of the
 recognised political party) has been duly elected
 to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Ratlam
 Date : 3rd December 2023

SANJEEV KESHAV PANDEY
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 221-Sailana (ST)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Mr. Kamleshwar Dodiya, Address-Niwasi Gram 34, Radnakuwa, Post Sarwan, Tehsil Sailana, District Ratlam sponsored by Bharat Adivasi Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Ratlam MANEESH KUMAR JAIN
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 222-Jaora Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Rajendra Pandey "Raju Bhaiya" Address-15, Hospital Road, Jaora, District Ratlam sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Ratlam ANIL BHANA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 223-Alot (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Dr. Chintamani Malviya, Address-25, Chimanganj, Ankpat Marg, Path No. 2, Ujjain sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Ujjain SUNIL JAISWAL
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 224-Mandsour
 North Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Vipin Jain, Address- Station Road, Sawariya Lodge Ke Pass, Dalauda Choupati, Teh. and Dist. Mandsaur sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Mandsaur SHIV LAL SHAKYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 225-Malhargarh (SC)
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Jagdish Devda, Address-32, Shyamnagar,
 Mandsaur sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Mandsaur VIVEK SONKAR
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 226-Suwasra Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Dung Hardeepsingh Address-H. No. 1251,
 Thana Road Suwasra, Tehsil Suwasra, District
 Mandsaur sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Mandsaur SHIVANI GARG
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 227-Garoth Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Chandar Singh Sisodiya, Address-Kotda
 Khurd, Post Kharkheda, Tehsil Garoth, District
 Mandsaur sponsored by Bharatiya Janata Party
 (Name of the recognised political party) has
 been duly elected to fill the seat in that House
 from the above Constituency.

Place : Mandsaur RAVINDRA PARMAR
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 228-Manasa Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66
 of the Representation of the People Act, 1951, read with
 Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare
 that :-

Shri Aniruddha (Madhav) Maroo, Address-
 Ward No. 9, Ushanganj Colony, Manasa
 sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of
 the recognised political party) has been duly
 elected to fill the seat in that House from the above
 Constituency.

Place : Neemuch PAWAN BARIYA
 Date : 3rd December 2023 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 229-Neemuch
 Assembly Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Dilip Singh Parihar, Address-16, Sardar Mohalla, Neemuch City, Neemuch sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Neemuch
 Date : 3rd December 2023

Dr. MAMTA KHEDE
 Returning officer.

FORM 21-C
Conduct of Election Rule, 1961
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION
 UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION
 OF THE PEOPLE ACT, 1951

**Election to the Legislative Assembly of
 Madhya Pradesh From 230-Jawad Assembly
 Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Omprakash Sakhlecha, Address- Shri Ram Baldev Ghati (Sakhlecha Ghati) Jawad, Distt. Neemuch sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place : Neemuch
 Date : 3rd December 2023

RAJKUMAR HALDER
 Returning officer.